**अपर निजी सचिव के रुप में नियुक्त किए गए केन्द्रीय लओक निर्माण विभाग के अभियन्ता**

540. **श्री दिलीप सिंह जुदेव :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने सहायक अभियंताओं को मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ख) इन नियुक्तियों से विभाग के विकास कार्यों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा:

(ग) क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) :** (क) एक।

(ख) विकास कार्य में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रुप में नियुक्त सहायक इंजीनियर बावत एवजी की पहले ही तैंनाती कर दी गई है।

**काली बाडी सरकारी कालोनी, नई दिल्ली में अवैध निर्माण**

**541. श्री राजनाथ सिंह :**
**श्रीमती मालती शर्मा :**

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे-ब्लाक, मंदिर मार्ग (काली बाडी) नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासीय कालोनी में निवासियों ने अप्राधिकृति रुप से अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर रखा है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए सरकार से अनुमति लि है,

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अतिरिक्त कमरों के निर्माण की अनुमति लि है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कमरों को गिराने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंड़ारु दत्तात्रेय) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण के रुप में संलग्न है (निचे देखिये)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ड़) संपदा निदेशालय द्वारा नियमों के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण को हटाने अथवा आवंटन रद्द करने के लिए 31 आबंटियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

ऐसे मामले में कार्यवाही पूरी कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होता है।

**विवरण**

**आई/एच0 उपमंडल के0 लो0 नि0 वि0 नई दिल्ली, के अधीन जे0 ब्लॉक मंदिर मार्ग में अनधिकृत निर्माण की स्थिति**

| एफ़आर= सामने का कमरा | बी0आर0= पीछे का कमरा | बी0 सी0= कबर की गई बालकोनी | बी डब्ल्यू= चारदीवारी |
|---|---|---|---|
| जो एफ़ भूतल | एफ़एफ़-प्रथम तल | एस. एफ़ दूसरा तल | टी0 एफ़-ऊपरी तल |
| क्र0 सं0 | क्वाटर नं0 | निर्माण का प्रकार | तल |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जे. 583 | बी. आर. बी. सी. | भूतल |
| 2. | जे. 591 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 3. | जे. 553 | ए. आर. बी. डब्ल्यू | भूतल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | जे. 556 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 5. | जे. 568 | एफ़.आर.बी.आर.बी. सी. बी. डब्ल्यू | भूतल |
| 6. | जे. 554 | बी. सी. | भूतल |
| 7. | जे. 559 | बी. आर. | प्रथम तल |
| 8. | जे. 569 | बी. आर. | भूतल |
| 9. | जे. 574 | बी. सी.आर.बी. डब्ल्यू | प्रथम तल |
| 10. | जे. 584 | बी. आर. बी. डब्ल्यू | भूतल |
| 11. | जे. 593 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 12. | जे. 600 | एफ़. आर.बी. सी. | भूतल |
| 13. | जे. 614 | एफ़. आर. बी. आर. बी. सी. | भूतल |
| 14. | जे. 617 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 15. | जे. 629 | एफ़. आर. बी. सी. बी. डब्ल्यू. | भूतल |
| 16. | जे. 613 | बी. सी. | भूतल |
| 17. | जे. 628 | बी.आर. बी. डब्ल्यू. | भूतल |
| 18. | जे. 636 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 19. | जे. 646 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 20. | जे. 650 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 21. | जे. 643 | बी. सी. बी. डब्ल्यू. | भूतल |
| 22. | जे. 658 | बी. सी. | भूतल |
| 23. | जे. 662 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 24. | जे. 698 | बी. आर. बी. सी. बी. डब्ल्यू. | भूतल |
| 25. | जे. 601 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 26. | जे. 673 | बी. सी. | भूतल |
| 27. | जे. 681 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 28. | जे. 685 | बी. सी. | उपरी तल |
| 29. | जे. 659 | एफ़. आर. बी. आर. | भूतल |
| 30. | जे. 660 | एफ़. आर. बी. सी. | भूतल |
| 31. | जे. 664 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 32. | जे. 644 | एफ़. आर. बी. आर. | भूतल |
| 33. | जे. 653 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 34. | जे. 682 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 35. | जे. 674 | बी. आर. बी. सी. बी. डब्ल्यू. | भूतल |
| 36. | जे. 606 | बी. सी. पी. एफ़. | भूतल |
| 37. | जे. 703 | एफ़. आर. , बी. आर. | भूतल |
| 38. | जे. 890 | बी. सी., बी. डब्ल्यू. | भूतल |
| 39. | जे. 597 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 40. | जे. 704 | बी. आर., बी. सी. | भूतल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 41. | जे. 705 | एफ़. आर., बी. आर. बी. सी. | भूतल |
| 42. | जे. 772 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 43. | जे. 750 | एफ़. आर., बी. सी. | भूतल |
| 44. | जे. 757 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 45. | जे. 735 | बी. आर. | भूतल |
| 46. | जे. 763 | बी. सी. | भूतल |
| 47. | जे. 793 | बी. आर, बी. सी. | भूतल |
| 48. | जे. 805 | बी. सी. | उपरी तल |
| 49. | जे. 808 | एफ़. आर, बी. आर, बी. सी. | भूतल |
| 50. | जे. 811 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 51. | जे. 794 | बी. सी. | भूतल |
| 52. | जे. 795 | बी. आर., | भूतल |
| 53. | जे. 779 | बी. सी. | भूतल |
| 54. | जे. 780 | एफ़. आर, बी. सी., बी. डब्ल्यू | भूतल |
| 55. | जे. 799 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 56. | जे. 807 | बी. सी. | उपरी तल |
| 57. | जे. 813 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 58. | जे. 825 | एफ़. आर, बीसी., | भूतल |
| 59. | जे. 829 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 60. | जे. 824 | बी. सी. | भूतल |
| 61. | जे. 840 | एफ़. आर., बी. सी. | भूतल |
| 62. | जे. 848 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 63. | जे. 854 | बी. सी. | भूतल |
| 64. | जे. 839 | बी. सी. | भूतल |
| 65. | जे. 866 | एफ़. आर, बी. सी. | भूतल |
| 66. | जे. 846 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 67. | जे. 841 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 68. | जे. 845 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 69. | जे. 881 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 70. | जे. 864 | बी. सी. | उपरी तल |
| 71. | जे. 866 | बी. सी. | उपरी तल |
| 72. | जे. 876 | बी. सी. एस. एफ़ | दूसरा तल |
| 73. | जे. 868 | बी. सी. | भूतल |
| 74. | जे. 888 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 75. | जे. 885 | बी. सी. | भूतल |
| 76. | जे. 922 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 77. | जे. 921 | बी. सी. | दूसरा तल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 78. | जे. 923 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 79. | जे. 898 | एफ़. आर. | भूतल |
| 80. | जे. 902 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 81. | जे. 901 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 82. | जे. 900 | एफ़. आर. | भूतल |
| 83. | जे. 899 | एफ़. आर. | भूतल |
| 84. | जे. 906 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 85. | जे. 908 | बी. सी. | दूसरा तल |
| 86. | जे. 909 | आन एफ़ | उपरी तल |
| 87. | जे. 910 | आन एफ़ | उपरी तल |
| 88. | जे. 928 | बी. सी. | भूतल |
| 89. | जे. 980 | बी. सी. | भूतल |
| 90. | जे. 931 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 91. | जे. 933 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 92. | जे. 934 | बी. सी. | प्रथम तल |
| 93. | जे. 778 | एफ़. आर; बी. आर. बी. सी. | भूतल |

**Allotment of Accommodation to IAS Officers in Delhi**

542. SHRI RAJ NATH SINGH:

SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large number of IAS Officers of U.P. Cadre who were on deputation to the Centre and have been reverted back to their home State are still retaining Government accommodation allotted to them in Delhi.

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons for not vacating the accommodation in Delhi as these officers have been allotted accommodation in U.P. itself;

(d) whether Government would recover market rent from such officers; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (e) As per rule retention of Government accommodation to the officers transferred from one station to another is permissible for a period of two months on payment of normal licence fee and further period of six months on payment of twice the normal licence fee on medical/educational grounds. Such retention is not linked with the allotment of Government accommodation to the transferee by the State Govt. In case of overstay, licence fee at damages rates are charged and action to get premises vacated is taken under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971. No list of cadre-wise IAS officers or any other categories of officers in occupation of Government accommodation is maintained.

**Allotment of 'Thlyas' to vegetable sellers in Jheel Kuranja, East Delhi**

543. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi Development Authority has earmarked and prepared a lay out plan of a vacant plot for allotment of 'Thiyas' of 2x2 mts, measurement to the Jheel Kuranja (East Delhi) Vegetable selling road encroachers, who have earlier depostied Rs. 500/- each with DDA;